भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2193
जिसका उत्तर गुरुवार, 06 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

न्याय मिलने में देरी

2193 # श्री रामजी लाल सुमन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की कमी के कारण न्यायालयों में मौखिक आदेशों की घोषणा के बाद कई-कई दिन लिखित आदेश जारी नहीं हो रहे हैं ;

(ख) देश के अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत पांच वर्षों में अधीनस्थ कर्मचारियों के भरे गए पदों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को पर्याप्त अधीनस्थ कर्मचारियों की कमी के कारण न्याय मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कर्मचारियों की रिक्तियों को भरना केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 और 235 के अधीन विद्यमान उपबंध के अनुसार जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है। केंद्रीय सरकार ने न्यायालयों में कर्मचारियों की किसी कमी के प्रभाव पर कोई अध्ययन नहीं किया है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 30.07.2026 तक उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमश: न्यायाधीशों के 341 पद और न्यायिक अधिकारियों के 7311 पद रिक्त है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भरे गए अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के पदों के विवरण से संबंधित जानकारी केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है ।

****